कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,बारां

क0 नं0 121, द्वितीय तल, जिलापरिषद् भवन, मिनीसचिवालय, कोटा रोड, बारां (राज0) 325205
E-mail address- ddbaran.wcd@rajasthan.gov.in, ddbaran.wcd@gmail.comदूरभाष नं0– 07453-237012

क्रमांकः विज्ञप्ति / म.बा.वि./2025–26/76 दिनांक : 22/01/26

विज्ञप्ति संख्या –1/ 2026

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ईमेल आई0डी0	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	ग्राम/वार्ड	आंगनबाडी केंद्र का नाम	रिक्त मानदेय पद	आरक्षित वर्ग
1	बाल विकास परि0 अधिकारी, मांगरोल mangrolcdpo@gmail.com	मांगरोल	वार्ड नं0 18 व 19 मांगरोल	वार्ड 4 व 5 मांगरोल	सहायिका	Mino
2		सीसवाली	वार्ड नं0 16 व 17 सीसवाली	सीसवाली–2	सहायिका	Mino
3	बाल विकास परि0 अधिकारी, अंता antacdpo@gmail.com	बमूलिया कलां	बमूलिया कलां	बमूलिया कलां–3	कार्यकर्ता	SC
4		पलायथा	पलायथा	पलायथा–5	कार्यकर्ता	-
5		नियाणा	कैथोडी	कैथोडी	सहायिका	-
6	बाल विकास परि0 अधिकारी, अटरू cdpoatru2@gmail.com	नगर पालिका अटरू	वार्ड नं0 9	अटरू–2	सहायिका	-
7		नगर पालिका अटरू	वार्ड नं0 12 व 16	अटरू–3	सहायिका	-
8		नगर पालिका अटरू	वार्ड नं0 24 व 25	खेडलीगंज–2	सहायिका	-
9		कवाई	कवाई	कवाई–4	सहायिका	-
10		गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	सहायिका	-
11		मोठपुर	मोठपुर	मोठपुर–1	सहायिका	-
12		ढोटी	ढोटी	ढोटी–1	सहायिका	-
13		बमोरी	खेडलीनाहरिया	खेडलीनाहरिया	कार्यकर्ता	ST
14		मूण्डला बिसौती	मूण्डला बिसौती	मूण्डला बिसौती–1	सहायिका	ST
15		मूण्डला बिसौती	देगनीजागीर	देगनीजागीर	कार्यकर्ता	SC
16		मूण्डला बिसौती	देगनीजागीर	देगनीजागीर	सहायिका	SC
17	बाल विकास परि0 अधिकारी,बारांcdporural93@gmail.com	पाठेडा	कोटडी	कोटडी	कार्यकर्ता	-
18		कोयला	कोयला	कोयला सहरिया बस्ती	सहायिका	ST
19		नारेडा	गुगलहेडी	गुगलहेडी	सहायिका	SC
20		बडा	बडा	बडा–I	सहायिका	-
21		मण्डोला	मण्डोला	मण्डोला–II	सहायिका	-
22	बाल विकास परि0 अधिकारी, छबडा cdpochhabra@gmail.com	तेलनी	नगदा	नगदा	कार्यकर्ता	-
23		कडैयानोहर	कडैयानोहर	कडैयानोहर–1	कार्यकर्ता	-
24		तीतरखेडी	मोतीपुरा	मोतीपुरा	कार्यकर्ता	-
25		हान्याहेडी	नीमखेडा	नीमखेडा	सहायिका	-
26		खोपर	बावडीखेडा	बावडीखेडा–I	सहायिका	ST
27		बापचा	बापचा	बापचा–2	सहायिका	-
28		दिलोद	नरसिंहपुरा	नरसिंहपुरा	सहायिका	ST
29		चांचौडा	छबडा	शंकर कॉलोनी –I	सहायिका	SC
30		चांचौडा	उदपुरिया	उदपुरिया	सहायिका	-
31		छबडा	वार्ड नं0 11	वार्डनं0 3 1ST	सहायिका	-
32		छबडा	वार्ड नं 27,28	वार्ड नं0 19	सहायिका	Mino
33		मूण्डक्या	कुण्डी	कुण्डी 1	सहायिका	-
34	बाल विकास परि0 अधिकारी छीपाबडौद cdpochhipabarod@gmail.com	गगचाना	उदपुरिया	उदपुरिया	कार्यकर्ता	-
35		अमलावदाआली	नीमथूर	नीमथूर	सहायिका	-
36		फूलबडौदा	फूलबडौदा	फूलबडौदा–2	सहायिका	-
37		हरनावदाशाहजी	हरनावदाशाहजी	हरनावदाशाहजी–7	सहायिका	-
38		मानपुरा	कोटडी	कोटडी	सहायिका	SC

39		पछाड	पछाड	पछाड–2	सहायिका	-
40		कुंभाखेडी	देवरीभान	देवरीभान	सहायिका	ST
41	बाल विकास परि0 अधिकारी, किशनगंज cdpo.kishanganj@rajasthan.gov.in	पचलावडा	पचलावडा	पचलावडा	कार्यकर्ता	-
42		खण्डेला	कोटीखेडा	कोटीखेडा	सहायिका	-
43		कागला बमोरी	बालाखेडा	बालाखेडा	सहायिका	-
44		परानिया	गोरधनपुरा	अमरपुरा	सहायिका	-
45		बरूनी	सुहावन	सुहावन	सहायिका	-
46		ख्यावदा	ख्यावदा	ख्यावदा	सहायिका	-
47	बाल विकास परि0 अधिकारी, शाहबाद shahbadcdpo14@gmail. com	सनवाडा	पठारी	पठारी–1	कार्यकर्ता	-
48		अजरोंडा	केदारकुई	केदारकुई–2	कार्यकर्ता	-
49		बिची	रामपुर उपरेटी	रामपुर उपरेटी	कार्यकर्ता	-
50		महोदरा	सिरसोद खुर्द	सिरसोद खुर्द–1	कार्यकर्ता	--
51		कस्बानोनेरा	मंडी सहजना	नीममण्डी	सहायिका	ST
52		आगर	भरोली	भरोली	सहायिका	ST
53		दांता	ख्यावदा	ख्यावदा	सहायिका	ST
54		खुशियारा	नारायणखेडा	नारायणखेडा–I	सहायिका	ST
55		नाटई .	नाटई	नाटई–'2	सहायिका	-
56		भोयल	पाजनटोरी	पाजनटोरी	सहायिका	-
57		निवाडी	निवाडी	कालामाल	सहायिका	ST
58		सेमलीफाटक	रानीपुरा	रानीपुरा	सहायिका	ST
59		गणेशपुरा	डाबरी	डाबरी	सहायिका	ST
60		खाण्डा सहरोल	बिरोली	बिरोली	सहायिका	ST
61		बिंची	नादिया	नादिया	सहायिका	ST
62		बिंची	सुहान	सुहानखो	सहायिका	ST
63		बिंची	मोहनपुर	मोहनपुर	सहायिका	ST
64		राजपुर	राजपुर	राजपुर–II	सहायिका	-
65		मुंडियर	शाहपुर	शाहपुर	सहायिका	ST

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डो में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों मे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1. ग्रामीण क्षेत्र मे महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र मे संबंधित आंगनबाडी केन्द्र परिक्षैत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थानो के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. **वैवाहिक स्थिति**– कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाडी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनो पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नही रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य मे स्थानीय निवासी नही रहने पर जांच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जाएगा।
3. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित –प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीडित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण मे अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नही होगी।
5. आवेदनकर्ता महिला के घर मे शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र मे किया जाना आवश्यक है।
6. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप मे पति की मृत्यू का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. तलाकशुदा की स्थिति मे सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नही करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगां।
8. विभिन्न पदो के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मापदण्ड निर्धारित जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
9. दो या दो से अधिक आवेदको के बराकर अंक होने की स्थिति मे निम्न क्रम क्रम मे वरीयता दी जाएगी।
   (अ) विधवा, तलाक शुदा इनमे भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की (विधवा या तलाकशुदा महिला की जन्मतिथी के आधार पर)हुई हो।
   (ब) विकलांग (स) अधिकतम आयु वाली महिला।

(द) अधिकतम आयु वाली महिला मे भी दो या दो से अधिक आवेदको के बराबर अंक होने की स्थिति मे बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति मे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वरियता निर्धारित की जाएगी।

10. पिछडा वर्ग नॉन क्रिमिलियर के प्रमाण पत्र व आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मान्य होगा।
11. अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
12. **राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यो के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को सामान्य वर्ग का अंक दिया जावेगा।**
13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका /प्रमाण पत्र (2) सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/**एनटीटी (एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त)**/ डीपीएसई/ बीएसटीसी / डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र /राशन कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग /आर्थिक पिछडा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप मे 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7)एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8)विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
14. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों मे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस .को सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकेगे । अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति मे वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र मे सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नही किया जायेगा।
16. जिन आंगनबाडी केन्द्रो के कवरेज क्षैत्रो मे जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षैत्रो मे जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
17. इस संबंध मे विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एव 57871—58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
18. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजो के पृष्ट संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

(दुर्गाशंकर मीना)RAS
उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बारां

क्रमांकः विज्ञप्ति/ म.बा.वि./2025—26/ 77-86

दिनांक : 22/01/26

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बारां।
4. श्रीमान अति0 कलक्टर सहरिया विकास परियोजना शाहबाद।
5. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. उप खण्ड अधिकारी, समस्त जिला बारां। जिला बारां।/ जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बारां।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी,समस्त जिला बारां को भेजकर लेख है कि उक्त रिक्त पदो के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रो के अनुसार कराना सुनिश्चित करे। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार—प्रसार करवाना सुनिश्चित करे।
9. सरपंच/सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर परिषद्/नगर पालिका.................................... द्वारा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,बारां